



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18081

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-20348 वर्ष 2025

अमरीश शर्मा आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुधीर कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामा और प्रत्युत्तर हलफनामा अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2024 के अपराध संख्या-190 में धारा 302, 201, 120-बी, 404, 414, 34 भ०द०वि०, थाना-मवाना, ज़िला: मेरठ के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक और सह-आरोपी व्यक्ति सुलेखा के बारे में कहा जाता है कि उसने उक्त अपराध किया है। उक्त आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति ने आवेदक और सह-आरोपी व्यक्ति सुलेखा को ऋण पर 12 लाख रुपये दिए थे, इस तरह, आवेदक को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 28.4.2024 से जेल में है और वह मुकदमे में



सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. तत्सम्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस बात के सबूत हैं कि आवेदक मृतक से संबंधित वाहन चला रहा था और शव उसी वाहन से बरामद किया गया था, इस तथ्य के साथ कि मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता।

7. ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्र निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

27 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)